आर्डर शीट

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील सं0 /2025 अनवान *सारकी देवी बनाम सोनिया वगैरा*

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.10.25	वकील अपीलांट उपस्थित। उक्त अपील राजस्थान राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर द्वारा राजस्व अपील संख्या 82/2022 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया। वकील अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं अपीलांट अधिवक्ता की अपील एवं स्थगन के संबंध मे चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। प्रकट तथ्यों एवं अपीलाधीन आदेशों में उल्लेख अनुसार, पक्षकारों के मध्य आपसी वाद के मुख्य तथ्य निम्न प्रकार है :– 1. वाद की विषय–वस्तु मृतक खातेदार पुनमा पुत्र दौला का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 289 दिनांक.....मौजा देवगढ (गोईन्दला), समस्त विधिक वारिसान के नाम स्वीकृत नही होने को लेकर है। 2. उक्त स्वीकृत ना0क0सं0 289 के विरूद्ध मृतक खातेदार की पुत्री–सारकी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर में प्रस्तुत म्यूटेशन अपील संख्या 18/2010 में पारित निर्णय दिनांक 08.07.2011 द्वारा उक्त ना0क0 निरस्त कर, प्रकरण तहसीलदार आहोर को स्व0 पुनमाजी के वारिसान की जांच कर, हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत सभी पक्षों को सुनकर पुनः ना0क0 की कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। 3. तहसीलदार आहोर द्वारा रिमाण्ड नामान्तरकरण सुनवाई प्रकरण	

13/10.

संख्या 12/2011 अनवान सारकी बनाम सोनिया वगैरा में पारित आदेश दिनांक 12.08.2022 के अनुसार अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल के जवाब पेश नही होने से, ग्राम पंचायत बाकली से प्राप्त स्व0 पुनमा के वारिसान की सूची अनुसार उनके 2 पुत्र–सोनिया व भगिया तथा 4 पुत्रिया–सारकी, पेपी, गवरी व जमना के नाम ना0क0 दर्ज करने तथा जमना व गवरी फौत हो जाने से उनके वारिसान की जांच पश्चात उनके ना0क0 की कार्यवाही पृथक से करने का आदेश पारित किया गया।

4. तहसीलदार आहोर के उक्त आदेश दिनांक 12.8.22 के विरूद्ध सोनिया पुत्र पुनमाजी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर में मुख्यतः इस आशय से अपील प्रस्तुत की गई कि अपीलांट–सोनिया एवं प्रत्यर्थी सं0 1–सारकी के मध्य हुए राजीनामें के अनुसार 11 बीघा भूमि का बिना प्रतिफल लिए पंजीबद्ध हस्तांतरण के बावजूद रिमाण्ड प्रकरण में सारकी द्वारा इसकी पालना नही करवायी गई तथा अपीलाधीन निर्णय 2 मृतक पुत्रियों के नाम पारित किया गया है। दर्ज राजस्व अपील सं0 82/2022 अनवान सोनिया बनाम सारकी वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 20.05.2025 द्वारा अपीलाधीन–तहसीलदार आहोर का आदेश दिनांक 12.08.2022 को निरस्त कर, प्रकरण तहसीलदार आहोर को उभय पक्षकारान को सुनवाई का उचित अवसर देकर एवं विधिक दस्तावेजों की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

5. अति0 जिला कलेक्टर जालोर के उक्त आदेश दिनांक 20.05.2025 के विरूद्ध अपीलांट–सारकी (पुत्री) द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अन्तर्गत धारा 76 आरएलआर एक्ट के तहत यह अपील मुख्यतः इस आशय से प्रस्तुत की गई कि अधीनस्थ न्यायालय–अति0 जिला कलेक्टर जालोर को रिमाण्ड

13/10.

नामान्तरकरण प्रकरण की सुनवाई का श्रवणाधिकार नहीं ...
तथा अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 05 के प्रार्थना
पत्र का निस्तारण किए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर
दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन
आदेश निरस्त कर, तहसीलदार आहोर का आदेश दिनांक 12.
08.2022 को बहाल करने का आग्रह किया गया।

6. इस प्रकार इस मामले में एक तरफ तो मृतक खातेदार का पुत्र
–सोनिया द्वारा अपनी बहन सारकी को बिना प्रतिफल के 11
बीघा भूमि के कथित पंजीबद्ध हस्तांतरण के आधार पर ना0क0
सुनवाई प्रकरण में आदेश पारित करवाने की मंशा रखता है।
वहीं दूसरी ओर मृतक खातेदार की पुत्री–सारकी, वर्तमान
अपील के माध्यम से अपीलाधीन–अति0 जिला कलेक्टर जालोर
के आदेश दिनांक 20.05.2025 द्वारा नामान्तरकरण सुनवाई
प्र0सं0 12/2011 में तहसीलदार आहोर द्वारा पारित आदेश
दिनांक 12.08.2022 को निरस्त कर दिये जाने से, उक्त
अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर, तहसीलदार आहोर का
आदेश दिनांक 12.08.2022 को बहाल करवाने की मंशा रखती
है। अति0 जिला कलेक्टर जालोर के आदेश में यह भी
उल्लेखित है कि प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी आहोर द्वारा
पारित आदेश के विरूद्ध मृतक खातेदार के पुत्र–सोनिया व
भगिया द्वारा न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर के
समक्ष पूर्व में अपील प्रस्तुत गई थी, जो कथित राजीनामे के
आधार पर विड्रो कर ली गई। तलाश करने पर उक्त अपील
सं0 151/2011 में पारित निर्णय दिनांक 20.08.2014 द्वारा
जरिये विड्रोल खारिज की जाना पाग्री गई।

7. अतः न्यायहित की दृष्टि से प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों
का समग्र विवेचन करने पर न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत
उक्त अपील औचित्यहीन प्रतीत होने से इसी स्तर पर खारिज

की जाती है। पक्षकार अपने–अपने हितों का संरक्षण हेतु तहसीलदार आहोर के समक्ष रिमाण्ड नामान्तरकरण प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्र है। वाद की विषय–वस्तु अंतिम रूप से रिमाण्ड ना0क0 प्रकरण में सुनवाई एवं साक्ष्यों पर आधारित है, जिसे मात्र आपसी विवाद अथवा तकनिकी दृष्टि से लंबित रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर, फैसला शुमार की जावे। निर्णय आज दिनांक खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

13/10/25.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर